न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः– 16/12/2021

अपील संख्या 129/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/00228)

1. ममता शर्मा पत्नी सुभाष शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 01 चमड़िया कॉलोनी, खाजुवाला।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 15–03–2001
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 15–03–2001 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपील[illegible] बहस करते हुए कथन किया गया कि अपील[illegible] 6–8 पी.केडी के मुरब्बा नम्बर24/01 के किला [illegible] 18 ता 25 तादादी 8 [illegible] भूमि का बतौर विशेष [illegible] आवंटन पश्चात् अप[illegible]द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट् के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी करते हुए मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के आवंटन को किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने से कभी इंकार नहीं किया गया है। अपीलांट् आज भी बकाया राशि मय ब्याज जमा करवाने के लिये तैयार है। इस संबंध में समय–समय पर राज्स सरकार द्वारा बकाया राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु छूट भी प्रदान की जाती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार की मंशा के विपरीत जाकर अपीलांट को बिना सूचना दिये अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद पर बहस की कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। लिमिटेशन एक्ट अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–03–2001 के विरूद्व अपील दिनांक 12–11–21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–03–2001 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 12–11–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश की महिला काश्तकार है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रख सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 14 डीकेडी हाल चक 6–8 पी.केडी के मुरब्बा नम्बर 24/01 के किला नम्बर 18 ता 25 तादादी 08 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए अपीलांट के पक्ष में [illegible] किया गया। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के कुल कीमत [illegible] 26[illegible]0/– की 35 प्रतिशत राशि 9380/– जरिये चालान संख्या [illegible] 55 406979/85 दिनांक 29–03–2000 के माध्यम से जमा करवाये जाने के उपरान्त अपीलांट् के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पक्ष में आवंटन पट्टा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को बकाया राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किये बिना अपीलांट् के आवंटन को किश्तों के अभाव में एकतरफा तौर पर खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के विधिवत आवंटन को बिना किसी सूचना के खारिज किया जाना मनमाना पूर्ण कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि आज दिनांक तक आराजीराज दर्ज रिकार्ड भूमि है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–03–2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो, अपीलांट् की यदि कोई बकाया राशि हो तो तीन माह में जमा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16/12/21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर